राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए "सुविधा ऋण योजना"

क्र.सं.	योजना का नाम	सुविधा ऋण योजना
1.	लक्ष्य समूह	ग्रामीण क्षेत्र में राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह।
2.	ऋण का उद्देश्य	घरेलू आवश्यकताओं, कृषि और गैर–कृषि क्षेत्र के तहत सभी आय सृजन गतिविधियां के संचालन हेतु।
3.	पात्रता	एक वित्तीय वर्ष में प्रति स्वयं सहायता समूह अधिकतम पांच सदस्य।
4.	ऋण राशि	प्रति सदस्य ऋण राशि जिसकी अधिकतम सीमा 40,000/– रूपये होगी।
5.	मार्जिन	कोई मार्जिन मनी देय नहीं।
6.	ब्याज दर	वर्तमान में 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से राज्य सरकार के 8 प्रतिशत अनुदान देय होने के फलस्वरूप तथा नियमित किश्त भुगतान करने पर वास्तविक ब्याज दर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
7.	ऋण का चुकौती अवधि	ऋण राशि 24 माह मे समान मासिक किश्तों में
8.	ऋण के प्रयोजन	• घर की आवश्यकताओं के लिए – 15 हजार रूपये • बच्चों की शिक्षा के लिए – 25 हजार रूपये • घर में शादी के लिए – 25 हजार रूपये • कर्ज चुकाने के लिए – 25 हजार रूपये • आय–अर्जन (कृषि एवं गैर–कृषि) गतिविधियों के लिए अधिकतम – 40 हजार रूपये
9.	ऋण राशि जारी करना	ऋण राशि स्वयं सहायता समूह के बचत बैंक खाते में जारी की जाएगी और स्वयं सहायता समूह बिना किसी देरी के ऋण राशि को संबंधित सदस्य के बचत खाते में स्थानांतरित कर देगा।
10.	बीमा	सम्पूर्ण बकाया ऋण राजस्थान महिला निधि की "सुरक्षा बीमा योजना" के तहत कवर किया जाएगा। जिसके लिए सुरक्षा बीमा प्रमियम प्रति हजार रू. 2.30 देय होगा।

इस संबंध में कोई भी विवाद जयपुर क्षेत्राधिकार के अधीन है।

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited
JAIPUR